



2026:AHC:21253

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-संख्या – 16501 सन् 2025

अर्चना पांडेयाचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

भारत संघ और 3 अन्यउत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता : दुर्गा प्रसाद सिंह

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता : सहायक अधिवक्ता, पवन कुमार सिंह, रवि प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. आज दायर किया गया संक्षिप्त प्रति शपथपत्र अभिलेख में लिया गया।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री दुर्गा प्रसाद सिंह और उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता, श्री रवि प्रकाश सिंह के साथ-साथ उत्तरदाता संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता, श्री पवन कुमार सिंह को सुना गया।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की मांग के लिए दायर की गई:
 - "I. उत्तरदाता संख्या 4, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई को याचिकाकर्ता के पति सुनील कुमार पांडे को देय बीमा राशि 60,00,000 रुपये (साठ लाख) ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो देश के लिए अपने कर्तव्य का बहादुरी से पालन करते हुए शहीद हो गए।
 - II. उत्तरदाता संख्या 4, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई को याचिकाकर्ता के मामले को अंतिम रूप देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें देय बीमा राशि 60,00,000 रुपये (साठ लाख) ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।
 - III. इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया जाए।
 - IV. याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।"
4. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रयागराज के उप प्रबंधक-प्रभारी द्वारा दिनांक 30.01.2026 को एक संक्षिप्त प्रति शपथपत्र दायर किया गया, जिसके पैरा-6 में निम्नलिखित कहा गया है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"6. यह कि, यद्यपि, इस माननीय न्यायालय की टिप्पणियों और विवेक को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि मृतक श्री सुनील कुमार पांडे सेवा के दौरान शहीद हुए थे, याचिकाकर्ता की सहमति के अधीन बीमा पॉलिसी के तहत बीमा राशि अर्थात्, 50,00,000/- रुपये, जारी करने का एक सचेत निर्णय लिया गया है, जो कि प्रश्नगत बीमा पॉलिसी के तहत उसके दावे के पूर्ण और अंतिम संतुष्टि है।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 50,00,000/- रुपये की राशि याचिकाकर्ता को देय कुल राशि है और याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं के समक्ष के.वाई.एस. प्रस्तुत किया है।

6. इस संबंध में, उत्तरदाता संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता, श्री पवन कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि भुगतान 10 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

7. तदनुसार, याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तरदाता संख्या 4 को निर्देश दिया जाता है कि वह 12.02.2026 तक बैंक ड्राफ्ट या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करे।

8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, याचिका को निस्तारित किया जाता है। यदि, कोई मामला शेष रहता है, तो याचिकाकर्ता को न्यायालय में पुनः आने का अधिकार है।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति,

विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"